



UPFD010031482016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद  
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193  
 विशेष सत्र वाद सं०- 502/2016

राज्य .....अभियोजनपक्ष  
 बनाम

- 1- मंगल सिंह पुत्र ऊदल सिंह,
  - 2- रामकिशोर पुत्र ऊदल सिंह,
  - 3- सोबरन सिंह पुत्र ऊदल सिंह,
- समस्त निवासीगण- मलिकपुर, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्तगण।

धारा- 323,504,506 भा०द०सं०  
 व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 थाना- खैरगढ, जिला- फिरोजाबाद।  
 अपराध संख्या- 27/2016,

### निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 27/2016 में अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर एवं सोबरन सिंह के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)द, ध एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी प्रदीप कुमार पुत्र ओमपाल, निवासी- मलिकपुर, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद (Informant) द्वारा थानाध्यक्ष खैरगढ को प्रार्थना पत्र दिनांकित 10-03-2016 प्रदर्शक-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

“निवेदन है कि प्रार्थी प्रदीप कुमार पुत्र ओमपाल, निवासी मलिकपुर, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। मैं आज दिनांक 09-03-2016 को समय करीब 09.00 बजे श्री धर्मपाल के बोरे लाद रहा था। वही पर मुझे मंगल सिंह पुत्र ऊदल सिंह व रामकिशोर पुत्र ऊदल सिंह और सोबरन सिंह पुत्र ऊदल सिंह निवासी मलिकपुर मेरे पास आये और मुझे गाली गलौज देते हुए मुझे नौकदार हथियार से मेरे सिर में प्रहार कर दिया और मुझे बहुत पीटा और प्रार्थी की माँ चारा काटने खेत में गई हुई वहीं इन

तीनों ने सिर में ईट मार दी और पीटा, धमकाते हुए चले गये। प्रार्थी जाति से दिवाकर है। पीटने वाले ठाकुर हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना खैरगढ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 27/2016, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांकित 10-03-2013 को प्रदर्श क-4 के रूप में अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर एवं सोबरन सिंह के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श क-5 है।

4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर एवं सोबरन सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-7 प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर एवं सोबरन सिंह के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं०, व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 27-04-2017 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 प्रदीप कुमार	वादी मुकदमा (Informant)/चोटिल
2	PW-2 गुड्डी देवी	चोटिल/चश्मदीद साक्षी
3	PW- 3 डा० कुमरिल	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
4	PW- 4 एस०आई० तजुआ खाँ	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
5	PW- 5 श्यामकान्त	विवेचक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र/तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	मेडिकल रिपोर्ट प्रदीप कुमार	प्रदर्श क- 2

3	मेडिकल रिपोर्ट गुड्डी देवी	प्रदर्श क- 3
4	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 4
5	जी०डी०	प्रदर्श क- 5
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 6
7	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 7

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को गलत बताया। साक्षियों द्वारा झूठा बयान देना बताया तथा मुकदमा झूठा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

**उपधारा धारा (द)-** अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिन्नस्त करेग,

**उपधारा धारा (ध)-** लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा।

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

**अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 प्रदीप कुमार वादी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

“दिनांक 09-03-2016 को समय सुबह के नौ बजे की बात है। मैं धर्मपाल सिंह के खेत में ट्रैक्टर में आलू की बोरी लाद रहा था। तभी मुल्जिम मंगल सिंह पहुंचा और उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि साले धोबिया तू नेता बनता है तथा मुझे माँ बहनकी गालियां देने लगा, तभी मल्जिम मंगल सिंह के भाई सोबरन सिंह एवं रामकिशोर आ गये। मैंने इनसे गाली देने से मना किया तो इन्होंने नुकीले औजार से (आलू लादने वाला) से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, जो मेरे सिर में लगा था मेरे गहरा घाव हो गया था। खून निकला था तथा तीनों लोगों ने मुझे एक राय होकर लात घुंसों से मारापीटा जिससे मेरे शरीर में चोटें आयी थी तथा नुकीला औजार मेरे मंगल सिंह ने मारा था। तभी मेरी माँ श्रीमती गुड्डी देवी खेत से चारा लेकर आ रही थी तो उसके साथ भी तीनों मुल्जिमानों ने एक राय होकर मारपीट की तथा सिर में ईट मारी। जिससे उसका सिर फट गया तथा शरीर में चोटें आयी थी। मैं धोबी जाति का हूँ तथा मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं तथा मेरे ही गाँव के हैं व एक-दूसरे को भली प्रकार से जानते पहचानते हैं। घटना की रिपोर्ट मैंने थाना खैरगढ में लिखाई थी जो तहरीर मैंने दी थी वह पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/3 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरा व मेरी माँ का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल खैरगढ में हुआ था तथा मेरा एक्स-रे भी हुआ था। जो जिला अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था। पुलिस गाँव में आयी थी तथा पुलिस ने घटना स्थल का मेरी निशानदेही पर मौका मुआयना किया था तथा मुझसे पूछताछ की थी।”

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी संख्या 2 के रूप में पी०डबलू० 2 श्रीमती गुड्डी देवी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"दिनांक 09-03-2016 को मेरा लड़का प्रदीप कुमार धर्मपाल ठाकुर के खेत पर आलू लाद रहा था। दिन के नौ बजे का समय था। तभी वहाँ पर गाँव के मंगल सिंह, रामकिशोर व सोबरन सिंह आ गये, गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मैं चारा काटकर लौट रही थी मैं मौके पर पहुँच गयी थी और अपने लड़के को बचाने लगी तो इन लोगों ने मेरे सिर में ईट मार दी। सबने ईट मारी होगी। अब खुद कहा कि मंगल सिंह ने ईट मारी थी। इन लोगों ने मुझसे कहा था कि तुझे जान से मार देंगे। इन लोगों को मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। मेरे लड़के के सिर में चोट लगी थी। उसको औकड़ी से मारापीटा था। आकड़ी बोरा खींचने वाला हुक होता है, जो लोहे का होता है। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल खैरगढ में कराया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डबलू० 3 डा० कुमरिल को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 11-03-2016 को चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरगढ जिला फिरोजाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन मजरूब प्रदीप पुत्र ओमपाल निवासी मलिकपुर, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद समय 11.50 AM पर मेरे द्वारा डाक्टरी परीक्षण किया गया। मजरूब स्वयं मजरूबी चिड्डी लेकर आया था। पहचान चिन्ह बाई आँख के 2 से०मी० नीचे चेहरे पर काला तिल।

चोट नं० 1- पीट पर ऊपरी तरफ पीछे बीच में दर्द की शिकायत।

चोट नं० 2- फटा हुआ घाव 1.5cmX1.00cm सूजन के साथ सिर के ऊपर बाये कान से 15cm ऊपर दाये कान से 14cm ऊपर घाव के किनारे असमान व जमा हुआ खून मौजूद था। granulation मौजूद था। एक्स-रे की सालह दी गयी।

मेरी राय में सभी चोटें साधारण थी। जो कि कुन्द एवं ठोस हथियार से आना संभव है। चोटें दो दिन पुरानी होना संभव है। चोट नं० 2 की एक्सरे की सलाह दी गयी। पत्रावली पर मौजूद कागज 6 अ/2 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।

उसी दिन मेरे द्वारा गुड्डी देवी पत्नी ओमपाल, निवासी मलिकपुर, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद समय 11.30 AM डाक्टरी मुआयना किया था। मजरूब स्वयं आई थी। पहचान चिन्ह एक काला तिल बांयी तरफ गर्दन पर 5.5CM बांये कान से नीचे।

चोटें- फटा हुआ घाव 1.5cmX0.7cm सामने सिर के बीच में बाई आँख से 6CM ऊपर चोट के किनारे असमान थे। जमा हुआ खून व grenulation था।

मेरी राय में चोट साधारण थी, जो कि कुन्द व ठोस हथियार से आना संभव है। चोट दो दिन पुरानी होना संभव है। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 6 अ/3 डाक्टरी मुआयना मेरे द्वारा तैयार किया गया जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।"

**अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 एस०आई० तजुआ खाँ को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

"मैं दिनांक 10-03-2016 को थाना खैरगढ में बतौर हेड मोहरीर के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा प्रदीप कुमार पुत्र ओमपाल, निवासी- गाँव मलिकपुर, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 27/2016, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम मंगल सिंह आदि तीन नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। मेरे बोलने पर कम्प्यूटर पर अंकित मुंशी ने किता किया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/2 चिक एफ०आई०आर० है, इस पर SHO साहब के हस्ताक्षर है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, इस चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया। इसका खुलासा उसी दिनांक को रोजनामचाआम पर रपट नं० 29 समय 19.00 बजे किया था। असल जी०डी० आज मैं साथ लेकर आया हूँ। असल से मिलान किया तो सही है। जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ। जी०डी० पत्रावली पर कागज सं० 9 अ/3 है, इसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जी०डी० पर प्रदर्श क-5 अंकित किया गया।"

**अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 सी०ओ० श्यामकान्त विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-**

"मैं दिनांक 11-03-2016 को क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 27/2016, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम मंगल सिंह आदि तीन नफर की विवेचना मैंने ग्रहण की थी। उस दिन मैंने पर्चा नं० 1 कित किया। जिसमें नकल चिक, नकल रपट, नकल मजरूब प्रदीप, मजरूब श्रीमती गुड्डी देवी एलं बयान एफ०आई०आर० लेखक HM 76 तजुम्मा खाँ अंकित किये। पर्चा नं० 2 में बयान वादी प्रदीप कुमार, बयान मजरूबा गुड्डी देवी अंकित किये एवं वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। नक्शा नजरी पत्रावली पर 5 अ मेरे द्वारा तैयार कराया गया है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-6 अंकित किया गया। पर्चा नं० 3 बयान

मेडिकल डा० कुमरिल का अंकित किया गया। पर्चा नं० 4 में बयान अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर व सोबरन सिंह अंकित किये गये एवं बखूबी साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर, सोबरन सिंह के विरुद्ध धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं० 4अ/1 लगायत 4अ/4 है, इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, इस आरोप पत्र पर प्रदर्शक -7 अंकित किया गया।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. बचाव पक्ष की ओर से पक्ष की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी हैं-

(1) रामनारायन बनाम स्टेट आफ पंजाब 1976 SCR (1)27 सुप्रीम कोर्ट।

(2) अमर सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब AIR 1987 SC 826 सुप्रीम कोर्ट।

(3) कृष्ण गावडा व अन्य बनाम स्टेट आफ कर्नाटक क्रिमिनल अपील सं० 635/2006.

मैंने उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

12. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 09-03-2016 को समय लगभग 09.00 बजे स्थान धर्मपाल का खेत स्थित ग्राम मलिकपुर, थाना खैरगढ पर अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा एवं गुड्डी देवी को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को साशय गालियां देकर प्रकोपित किया जिससे लोक शान्ति भंग हुई ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया ? क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है, लोक दृष्टि में आने वाले सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक गालियां देकर अवमानित किया ?

13. घटना दिनांक 09-03-2016 को समय लगभग 09.00 बजे प्रातःकाल की है। वादी/पी०डब्लू० 1 प्रदीप कुमार घटना के समय धर्मपाल सिंह के खेत में ट्रैक्टर में आलू की बोरियां लाद रहा था। उसी समय अभियुक्त मंगल सिंह पहुंचा और वादी को अपने पास बुलाया और कहा कि साले धोबिया तू नेता बनता है, माँ-बहन की गालियां देने लगा। उसी समय अभियुक्त मंगल सिंह के भाई सोबरन सिंह व रामकिशोर आ गये तथा वादी

को आलू लादने वाले नुकीले औजार से मारा और प्रहार कर दिया जो वादी के सिर में लगा, जिससे सिर में गहरा घाव हो गया तथा खून भी निकला। तीनों अभियुक्तगण ने वादी पी०डब्लू० 1 को एक राय होकर लात, घुंसों से मारापीटा, जिससे वादी के शरीर में चोटें आईं। नुकीले औजार से मंगल सिंह ने मारा था। उसी समय वादी पी०डब्लू० 1 प्रदीप कुमार की माँ गुड्डी देवी खेत से चारा लेकर आ रही थी। तीनों अभियुक्तगण ने एक राय होकर मारपीट किया। गुड्डी देवी के सिर में ईट मारी, जिससे उसका सिर फट गया और उसको चोटें आईं। वादी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि वह धोबी जाति का है और मुल्जिमान ठाकुर जाति के हैं। मुल्जिमान उसे पहले से जानते पहचानते थे। इस घटना की रिपोर्ट थाना खैरगढ में लिखाई गयी। तहरीर प्रदर्शक-1 पर साक्षी ने अपने दस्तखत की शिनाख्त किया। साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में यह भी कहा कि डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल खैरगढ में हुआ था, एक्स-रे भी हुआ था। एक्स-रे जिला अस्पताल फिरोजाबाद में हुआ था। पुलिस गाँव में आई थी और घटना स्थल का निरीक्षण किया था। प्रति-परीक्षा में पी०डब्लू० 1 ने मजदूरी करने का कथन किया है और कहा कि 08-10 साल से मजदूरी करता है। प्रति-परीक्षा में पुनः इस बात को दोहराया कि घटना 09-03-2016 को सुबह 09.00 बजे की है। धर्मपाल सिंह के खेत में आलू लाद रहा था। पाँच लोग आलू लाद रहे थे। पाँचों मेरे ही गाँव के थे। उसी समय वादी की माँ चारा काट कर आ रही थी। लगभग 09.20 मिनट पर चारा काटकर आ रही थी। उस समय तक आधा झगड़ा हो चुका था। अभियुक्तगण किस दिशा से आये यह देखने में साक्षी असमर्थ रहा। अभियुक्तगण सड़क से आये वादी खेत में था। सर्वप्रथम मंगल सिंह आया, लगभग पाँच मिनट बाद अन्य अभियुक्तगण आ गये थे। तीनों ने ही मारपीट की थी। मंगल सिंह ने वादी को औजार से मारा था तथा शेष ने लात, घुंसों से मारापीटा था। औजार सिर में मारा था। शरीर में लात, घुंसों से मारपीट की थी। औजार एक ही जगह मारा था। औजार लगने से मैं गिर गया था, लेकिन मैं होश में था। मुझे इतना होश था कि सभी लोगों को देखकर पहचान सकता था। तुरन्त ही मेरी माँ आ गयी थी और मुल्जिमान ने उन्हें भी मारापीटा था। घटना के बाद वादी थाने गया था। माँ और पिता जी भी गये थे। दादी को भी थाने जाने का कथन किया है। थाने बाइक से गया था। बाइक चाचा चलाकर ले गये थे। बाइक उन्हीं की थी। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि हम लोग साढ़े दस बजे थाने पहुँच गये थे। थाने में उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। थाने पर हमारी रिपोर्ट नहीं ली थी। उसके पश्चात घर आ गये। मंगल सिंह और उनके चाचा जबरदस्ती घसीटकर थाने से घर ले गये थे। पुलिस अधिकारी के यहाँ भी गये किन्तु वह नहीं मिले। दरोगा जी ने पहले डाक्टरी कराने को कहा फिर रिपोर्ट लिखने के लिए कहा। अग्रेतर कहा कि मैंने एप्लीकेशन पर कुछ नहीं किया था।



दस्तखत नहीं किये थे। दरोगा जी ने क्या लिखवाया था मुझे नहीं मालूम है। फिर कहा कि हस्ताक्षर कराये थे। वही एप्लीकेशन मैंने थाने पर दी थी। साक्षी ने कहा कि मैं पढा-लिखा नहीं हूँ, किन्तु मैंने हस्ताक्षर किया था। पुलिस आई थी। पुलिस 2-4 दिन लगातार आती-जाती रही थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी, मैंने बयान दिया था। पुलिस को सारी स्थिति घटना स्थल पर बताई थी।

**पी०डब्लू० 2 श्रीमती गुड्डी देवी** वादी मुकदमा प्रदीप कुमार की माँ है। पी०डब्लू० 2 ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "दिनांक 09-03-2016 को मेरा लड़का प्रदीप कुमार धर्मपाल ठाकुर के खेत पर आलू लाद रहा था। दिन के नौ बजे का समय था। तभी वहाँ पर गाँव के मंगल सिंह, रामकिशोर व सोबरन सिंह आ गये, गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। मैं चारा काटकर लौट रही थी मैं मौके पर पहुँच गयी थी और अपने लड़के को बचाने लगी तो इन लोगों ने मेरे सिर में ईट मार दी। सबने ईट मारी होगी। अब खुद कहा कि मंगल सिंह ने ईट मारी थी। इन लोगों ने मुझसे कहा था कि तुझे जान से मार देंगे। इन लोगों को मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। मेरे लड़के के सिर में चोट लगी थी। उसको अकड़ी से मारापीटा था। आकड़ी बोरा खींचने वाला हुक होता है, जो लोहे का होता है। मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल खैरगढ में कराया था।" प्रति-परीक्षा में कहा कि मैं मारपीट के समय वहाँ मौजूद थी। फिर स्वयं कहा कि मैं वहाँ चारा काट रही थी। मैं मारपीट वाली जगह से एक खेत दूर चारा काट रही थी। उस समय घटना स्थल पर 10-12 लोग थे, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। मैं प्रदीप को जानती हूँ, क्योंकि वह मेरा बेटा है। मेरे बेटे के साथ आलू लादने वाली अकड़ी से मारपीट कर रहे थे। मंगल, रामकिशोर मारपीट कर रहे थे, सोबरन सिंह भी थे। तीनों मारपीट कर रहे थे। इन तीनों के हाथ में अकड़ी थी। मैंने इन तीनों से अपने लड़के को बचाया था। फिर हम थाने गये थे, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी थी। फिर दूसरे दिन थाने गये थे। दूसरे दिन थाने में हमारी रिपोर्ट लिखी गयी। रिपोर्ट किसी दूसरे लड़के ने लिखी थी, मेरे लड़के ने उस पर हस्ताक्षर किये थे। प्रदीप का मेडिकल कराने अस्पताल गयी थी। पहले मेरा मेडिकल हुआ था, फिर मेरे लड़के प्रदीप का मेडिकल हुआ था। प्रदीप मेडिकल कराने फिरोजाबाद गया था। प्रदीप मजदूरी का काम करता है। अग्रेतर कहा कि प्रदीप के सिर में तीन जगह अकड़ी लगी थी। करीब आधा घण्टा मारपीट चली थी।-----यह तीनों मुल्जिमान मुझे दबाये थे। इन लोगों ने मेरे साथ भी मारपीट की थी। मेरे सिर में चोट लगी थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

**पी०डब्लू० 3 के रूप में डा० कुमरिल मैत्रेय** को परीक्षित किया गया है। जिन्होंने दिनांक 11-03-2016 को चोटहिल प्रदीप कुमार का

मेडिकल परीक्षण 11.50 AM पर किया था। वह स्वयं मजरूबी चिड्डी लेकर गया था। **चोट नं० 1-** पीट पर ऊपरी तरफ पीछे बीच में दर्द की शिकायत। **चोट नं० 2-** फटा हुआ घाव 1.5cmX1.00cm सूजन के साथ सिरह के ऊपर बाये कान से 15cm ऊपर दाये कान से 14cm ऊपर घाव के किनारे असमान व जमा हुआ खून मौजूद था। एक्स-रे की सालह दी गयी। **पी०डब्लू० 3** के अनुसार सभी चोटें साधारण थी, जो किसी कुंद एवं ठोस हथियार से आना संभव थी। चोटें दो दिन पुरानी होना संभव थी। **पी०डब्लू० 3** ने मेडिकल रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। उसी दिन गुड्डी देवी पत्नी ओमपाल का मेडिकल परीक्षण 11.30 AM पर किया गया। चोटहिल स्वयं परीक्षण कराने आई थी। परीक्षण के समय फटा हुआ घाव 1.5cmX0.7cm सामने सिर के बीच में बाई आँख से 6CM ऊपर चोट के किनारे असमान थे। जमा हुआ खून था। चोटें साधारण थी। जो कि कुन्द व ठोस हथियार से आना संभव थी। चोट दो दिन पुरानी होना संभव है। मेडिकल रिपोर्ट पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की।

इसी प्रकार घटना के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क-1 के आलोक में अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4 एस०आई० तजुआ खाँ** दिनांक 10-03-2016 को बतौर हेड मौहरीर के पद पर थाना खैरगढ में तैनात थे। उस दिन वादी मुकदमा प्रदीप कुमार की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 27/2016, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम मंगल व दो अन्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनके बोलने पर कम्प्यूटर पर टंकण मुंशी ने किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एस०ओ० के हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस **प्रदर्श क-4** अंकित किया गया। जिसकी प्रविष्टि उसी दिन रोजनामचाआम में रपट सं० 29 के रूप में समय 19 बजे की गयी। रोजनामचाआम को **प्रदर्श क-5** के रूप में साबित किया गया है। **पी०डब्लू० 4** ने प्रति-परीक्षा में कहा कि वादी के साथ वादी सहित चार आदमी थे। तहरीर वादी लिखकर अपने साथ लाया था। विवेचना विवेचक श्यामकान्त द्वारा दिनांक 11-03-2016 को ग्रहण की गयी और नक्शा नजरी **प्रदर्श क-6** घटना स्थल का मुआयना कर तैयार किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर **प्रदर्श क-7** आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रति-परीक्षा में **पी०डब्लू० 5** ने कहा कि नक्शा नजरी **प्रदर्श क-6** में घटना स्थल के पूर्व में ठाकुर धर्मपाल का खेत है और पश्चिम में शिव सिंह का खेत है। आस-पास में कोई झोपड़ी, हैण्डपम्प व ट्यूबवेल नहीं पाया गया। झगड़ा मलिकपुर गाँव के पश्चिम दिशा में हुआ था। विवेचना के दौरान बोरा लादने वाले लोगों के नाम नहीं पूछे गये, ट्रैक्टर किसका था इसकी भी जानकारी नहीं दी गयी। साक्षी ने इस बात को सह कहा कि तहरीर में जान से मारने की धमकी का उल्लेख नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 313

द०प्र०सं० में कोई भी मारपीट करने से इंकार किया गया और कहा कि मुकदमा झूठा चलाया गया है। वादी ने तहरीर प्रदर्श क-1 में अभियुक्तगण द्वारा धमकाते हुए चले जाने के तथ्य को अंकित किया है। नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 में "X" चिन्ह से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर वादी के साथ मारपीट की गयी। अक्षर "A" से वह स्थान दर्शाया गया है जहाँ पर गुड्डी देवी केसाथ मारपीट की गयी। घटना स्थल के दक्षिण में अभियुक्त मंगल सिंह के खेत को दर्शाया गया है। उत्तर दिशा में ठाकुर धर्मपाल व अन्य के खेत दर्शाये गये हैं। **प्रदर्श क-2 चोटहिल प्रदीप** की मेडिकल रिपोर्ट है जो निम्न प्रकार है- (1) C/O pain over back of upper mid chest. (2) L.W. 1.5cmX0.1cm swelling over top of thw head 15cm above from left ear an 14cm. Above from Rt. Ear margine are irregular clotted blood present graletion present. Advice- X-Ray.

**Openion-** All injeries are simple in nature. Caused by blunt and hard object. Duration about two days. Injerie no 2 Advice- X-Ray.

प्रदर्श क-3 चोटहिल गुड्डी देवी की मेडिकल रिपोर्ट है जो निम्न प्रकार है- (1) L.W. 1.5cmX0.7cm over front of mid scalp 6cm. Above left eye. Brow margins are irregular clotted blood present. Grenletion. **Openion-** All injeries are simple in nature. Caused by blunt and hard object. Duration about two days.

उपरिवर्णित साक्ष्यों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि घटना दिनांक 09-03-16 को समय 09.00 बजे घटित हुई है। उस समय चोटहिल वादी पी०डब्लू० 1 धर्मपाल के बोरे लाद रहा था। उसी समय मंगल सिंह अभियुक्त आया और उसके साथ अन्य अभियुक्त रामकिशोर व सोबरन सिंह आये मारपीट किया, गाली-गलौज किया और सिर में प्रहार किया। वादी की माँ गुड्डी देवी चारा काटने गयी थी। उसे भी अभियुक्तगण ने ईंटों से मारा। घटना की तत्काल सूचना देने वादी थाने गया, किन्तु सर्वप्रथम उसे मेडिकल कराने के लिए कहा गया। घटना वाले दिन वादी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। अगले दिन रिपोर्ट लिखी गयी। लगभग 24 घण्टे का विलम्ब कारित किया गया, किन्तु उक्त विलम्ब वादी द्वारा नहीं कारित किया गया। किन्तु स्थानीय पुलिस की क्षिथलता के कारण रिपोर्ट तत्काल अंकित नहीं की जा सकी। वादी पढा-लिखा नहीं है, जैसा कि साक्ष्य से स्पष्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अवश्य पंजीकृत करायी गयी है, किन्तु उसका समुचित कारण अभियोजन द्वारा दर्शित किया गया है। सर्वप्रथम चोटहिल का मेडिकल कराने के लिए निर्देशित किया गया। सरकारी अस्पताल में उसका मेडिकल पी०डब्लू० 4 द्वारा किया गया, साधारण चोटें पाई गई। घाव भी पाया गया। उक्त चोटें कुंद हथियार से कारित की गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा

बिना किसी प्रकोपन के वादी और उसकी माँ को लात, घुंसाओं से मारपीट की गयी, जाति सूचक गालियां दी गयी। घटना स्थल लोक दृष्टि में आने वाला सार्वजनिक स्थान है। विवेचक द्वारा धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित किये गये बयान से पुष्ट होता है कि वादी द्वारा जिस प्रकार की चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित करना बताया गया। उक्त चोटें मेडिकल रिपोर्ट से सम्पुष्ट होती हैं। गुड्डी देवी पी०डब्लू० 2 को भी चोटें आई वह घटना स्थल पर चारा काटकर आ रही थी। उसने प्रदीप कुमार को बचाने का प्रयास किया। मेडिकल परीक्षण दिनांक 11-07-16 को 11.50 बजे तैयार की गयी थी। वादी और उसकी माँ को वह चोटें स्वाकारित चोटें नहीं थी। अभियुक्तगण द्वारा बिना किसी उकसावे के घटना कारित की गयी, स्वेच्छया उपहति कारित की गयी, गाली-गलौज देकर प्रकोपित किया गया, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया गया। अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाये जाने का कोई यथोचित कारण नहीं है। अभियोजन साक्ष्यों पर अविश्वास किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं है। घटना स्थल खेत है जो एक सार्वजनिक स्थान है तथा लोक दृष्टि में आने वाला स्थान है। अभियोजन उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर एवं सोबरन सिंह अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

### आदेश

अभियुक्तगण मंगल सिंह, रामकिशोर एवं सोबरन सिंह को आरोप अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 08.09.2023

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गरीब परिवार से हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

#### दण्डादेश

#### अभियुक्त मंगल सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

**धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के अन्तर्गत उपबन्धित, दाण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

#### अभियुक्त रामकिशोर निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

**धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये)

रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

### अभियुक्त सोबरन सिंह निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

**धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

**धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल वादी को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 08.09.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 08.09.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट  
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193